संख्या-654/X-2-2011-12(14)/2010

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 09 मार्च, 2011

विषयः- अनुदान सं0-27 में वन विभाग के चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग सहित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-नि.1217/3-3(1) दिनांक 01 मार्च, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त **संलग्न बी0एम0-15** प्रारूप पर अंकित विवरणानुसार **₹ 600.50** लाख का पुनर्विनियोग (जिसमें ₹ 130 लाख का पुनर्विनियोग, शासनादेश सं0 ब-110/X-2010-12(14)2010 दिनांक 15-4-2010 से मानक मद 06-अन्य भत्ते में निर्गत कुल वित्तीय स्वीकृति ₹1210 लाख में से हो रही बचतों से किया जा रहा है, भी सम्मिलित है।) करते हुए **₹6,00,50,000/- (₹ छः करोड पचास हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्रावधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्रावधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में <u>कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.</u>
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.

क्रमशः...2

4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
6. साख-सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि शासनादेश सं0-ए-2-311/दस-98 दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2(2) तथा 2(3) एवं वर्तमान में यथा प्रभावी संशोधित आदेश में निर्धारित है, परन्तु यदि उस त्रैमास में साख-सीमा की धनराशि व्यय होने में कोई कठिनाई होती है तो अवशेष धनराशि अगले त्रैमास तक व्यय करने की अनुमति विना वित्त विभाग की सहमति के जारी नहीं की जायेगी.
7. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
8. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
13. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
14. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबंध के भी अधीन है कि शासनादेश सं0 624/X-2-2011-12(14) 2010 दिनांक 21-02-2011 द्वारा वन विभाग का माह जनवरी 2011 का वेतन/महंगाई भत्तों का भुगतान की व्यवस्था कोषागार नियम- 24 के अंतर्गत किए जाने संबंधि आदेश के क्रम में वेतन एवं महंगाई भत्तों के भुगतान के लिए कोषागार नियम- 24 के अंतर्गत आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन भी निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से कर ली जाएगी।

क्रमशः...3

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- सामान्य अधिष्ठान हेतु निम्नलिखि तालिका में अंकित विवराणानुसार संगत मदों के नामें डाला जाएगाः-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2	3
1	01- वेतन	43650
2	02- मजदूरी	3400
3	03- महंगाई भत्ता	13000
	योग	**60050**

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ छः करोड पचास हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-242(NP)/XXVII(4)/2010, दिनांक 09 मार्च, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या-654 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव